

न्यायालय कलेक्टर, धमतरी जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

आदेश

क्रमांक: 62 / वाचक / कलेक्टर / 2021

धमतरी, दिनांक 26 / 11 / 2021

राजस्व प्रकरण क्रमांक 202111131000007 अ / 59 सन 2021-22

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल धमतरी से प्राप्त आवेदन की अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार के जांचोपरांत ग्राम डाभा तहसील मगरलोड जिला धमतरी स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 223 रकबा 5.60 हेक्टर में से रकबा 1.71 हेक्टर राजस्व भूमि (जिसे एतद पश्चात आवेदित भूमि लिखा जावेगा) को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण किये जाने मांग की गयी है।

2/ कनिष्ठ अधिकारियों के प्रतिवेदन आधार पर वनमण्डल के दुगली वन परिक्षेत्र के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत नगरी-जबर्ग मार्ग में काजल नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण से रकबा 1.701 हेक्टर के एवज में समतुल्य राजस्व भूमि का चयन कर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम डाभा पटवारी हल्का नंबर 25 राजस्व निरीक्षक मण्डल मेघा तहसील मगरलोड जिला धमतरी स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 223 रकबा 5.60 हेक्टर का भाग 1.71 हेक्टर को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (2) के तहत निस्तार पत्रक से पृथक करते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र 4-2 की कण्डिका-5 एवं छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक/परिपत्र क्रमांक एफ-4-135/सात-1/06 रायपुर दिनांक 10.08.2006 के तहत, वनविभाग के पक्ष में वृक्षारोपण कार्य हेतु हस्तांतरण किया जाता है।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन प्रदमुद्रा सहित आज दिनांक 26/11/2021 को जारी किया गया।

किया गया।

प्रतिलिपि-
प्र० क्रमांक 63 / वाचक / कलेक्टर / 2021

धमतरी, दिनांक 28/11/2021

- 1- सचिव छ.ग.शासन राजस्व विभाग रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2- आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 3- वन मण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरुद को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5- तहसीलदार मगरलोड को सूचनार्थ एवं आदेशानुसार अभिलेख दुरुस्ती उपरांत पालन प्रतिवेदन भिजवाने हेतु अग्रेषित।



फॉर्म पी-11 खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

कृषि वर्ष: 2021-2022

ग्राम : डाभा

हल्का : 00025

रा नि : मगरलोड

तहसील : मगरलोड

जिला : धमतरी

20211230590400018

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रुपये पैसों में है।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाली में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण			प्रयोजन जिसके लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौजूदा कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
223/2	1.7100 (राज्य सरकार)	वन विभाग			वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल		शासकीय भूमि	
								(10)

टीप:- फसल विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी 'फॉर्म पी-11 खसरा खण्ड-2' से प्राप्त होगा।

पृष्ठ क्रमांक: 1 / 1

Digitally signed by JHARNA BHARADWAJ
Date: 2021.12.30 16:56:08 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally publish